	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-05-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 97 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 206 रकबा 2.1115 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोलिया पटवार मण्डल सिवाना में अवस्थित है। राजस्व कर्मचारियों ने सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर खसरा संख्या 198 व 199 की सीमा व प्रार्थीगण के खेत की सीमा के आगे खसरा संख्या 207 दर्शा दिया प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया । हमने प्रार्थीग्ण अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरे संख्या 206 के नक्शे की तरमीम मौकानुसार है व खसरा संख्या 198 व 199 की सीमाएं मेड पर ही स्थित है। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरा संख्या 206 की तरमीम में कोई त्रुटि नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.05.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	